न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

निज / 3453 / II / 15

तुलसीराम तनय सुखलाल उपाध्याय ,

सकिन चिलौद , तहसील जबेरा जिला दमोह म0 प्र0 .....आवेदकगण

वनाम

1– रामशंकर पिता दुखी प्रसाद दुबे ,

निबासी ग्राम चिलौद तहसील जबेरा जिला दमोह म0 प्र0

2– म0 प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार जबेरा जिला दमोह

..... प्रतिअपीलार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार जबेरा के प्र0क0 19 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश के पालन में किये गये राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया कथित आलोच्य सीमांकन दिनांक 04 / 07 / 2015 से परिवेदित होकर कर रहा है, जिसमें प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की अवधि कम करके निगरानी समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिस्पॉ0 क0 एक द्वारा एक आवेदनपत्र नायब तहसीलदार जबेरा के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके नाम से ग्राम चिलौद स्थित भूमि खसरा नं 361 रकंवा 0.09 है0 का सीमांकन कर दिया जाबे। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्व करके रानि एवं पंटवारी को सीमांकन करने वावद आदेशित किया। जिसके पालन में दिनांक 04 / 07 / 2014 को रानि एवं पटवारी द्वारा विधि एवं प्रकिया के बिपरीत घर पर बैठकर सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्ड बुक तैयार करके अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिसमें ना तो आवेदक को सूचनापत्र दिया ना ही उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सीधा सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा के अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उपरोक्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3453/II/15 **जिला** दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.16	मैंने निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता संबंधी तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया। ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि गैरनिगराकार रामशंकर की भूमि ख.न. 361, ग्राम चिलौंद से लगी हुई भूमि ख.न.360, ग्राम चिलौंद निगराकार तुलसीराम की है, किन्तु RI द्वारा जारी सूचनापत्र में तुलसीराम का नाम नहीं है और सूचनापत्र तथा पंचनामे में तुलसीराम के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इसके बावजूद पंचनामे (दि. 4.7.15) एवं प्रतिवेदन दि 4.7.15 में ख.न. 361 के अंश भाग 0.04 हे. में तुलसीराम का कब्जा बताया गया है। ऐसे में सरहदी कृषक होने के बावजूद निगराकार को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया जाना, और इसके बजाय अन्य व्यक्ति की भूमि पर उसका कब्जा मान लिया जाना, विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः, नायब तहसीलदार जेरा का आक्षेपित आदेश दि. 6.7.15 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे गैरनिगराकार रामशंकर के सीमांकन आवेदन से संबंधित प्र.क्र. 19/अ-12/14-15	

[कृ. प. उ.

R.3453/

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि· षकों आदि के हस्ता·र
तुलसीराम	(11232)	

४. निगराकार तुलसीराम सहित में, 1 सभी सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सही से पहचान कर उन्हें सूचना एवं पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए एवं 1 प्रकरण की समस्त कार्यवाही इस प्रकार नए सिरे से करते हुए, पुनः नया आदेश पारित करें। ऐसा आदेश ना.तह. इस रा.मं. के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 2 माह के भीतर पारित करें। निगराकार, गैरनिगराकार-1 एवं समस्त सरहदी कृषक एवं हितबद्ध पक्षकार ऐसी समयबद्ध कार्यवाही में ना.तह. को सहयोग दें।

आदेश पारित।

पक्षकारगण एवं ना.तह.-जावेरा सूचित हों।

प्रकरण समाप्त।

दा.द. हो।

4.1.16
सदस्य